आज दिनांक - 05/05/2025 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में माननीया मुख्य पार्षद श्रीमती बबिता देवी की अध्यक्षता में नगर पंचायत कार्यालय में नगर पंचायत हरनौत के सामान्य बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम माननीया मुख्य पार्षद द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों, नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभिवादन किया गया। तत्पश्चात माननीया मुख्य पार्षद के द्वारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी से बैठक की कार्यवाही के संचालित करने का अनुरोध किया गया। माननीया मुख्य पार्षद के अनुरोध पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बोर्ड के सम्मानित सभी सदस्यों को बैठक में ससमय भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया तथा विधिवत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

नोट :-

सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक - 07/03/2025 एवं 25/04/2025 में दिए गए एजेंडा को बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा सं० - 01.

सड़कों का वर्गीकरण, होल्डिंग टैक्स का रेट निर्धारण पर विचार विमर्श।

बैठक में सड़कों का वर्गीकरण, होल्डिंग टैक्स का रेट निर्धारण हेतु प्रधान सड़क, मुख्य सड़क तथा अन्य सड़क के चयन एवं दर का निर्धारण हेतु विचार विमर्श किया गया। माननीया मुख्य पार्षद ने होल्डिंग टैक्स के वसूली हेतु सड़कों का चयन निम्न प्रकार से करने का प्रस्ताव दिया। जो इस प्रकार है :-

सड़कों का वर्गीकरण

(i)	प्रधान सड़क	(1) NH-20 के दोनों तरफ (2) बीच बाजार (3) गोनावां रोड (4) डिहरीगढ़ (5) रूपसपुर (6) चण्डी रोड
(ii)	मुख्य सड़क	(1) डाक बंगला रोड (2) पटेल नगर (3) गोंदिया पर (4) जलगोविन्द पथ (5) नियामतपुर (6) पोरई (7) कल्याण विगहा रोड
(iii)	अन्य सड़क	प्रधान सड़क एवं मुख्य सड़क के बाद बचे हुए शेष सभी सड़क सड़कों के चयन के बाद बचे हुए शेष सभी सड़क अन्य सड़क के अंतर्गत आते हैं।

बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों द्वारा नगर पंचायत हरनौत में सड़कों का वर्गीकरण पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके पश्चात वार्षिक किराया मूल्य का निर्धारण करने पर चर्चा की गई। नगर पंचायत हरनौत क्षेत्रान्तर्गत सभी 19 वार्डों में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में वर्णित प्रावधान के अनुसार तथा बिहार नगर पालिका संपत्ति कर (निर्धारण,

संग्रहण, एवं वसूली) नियमावली 2013 विभागीय पत्रांक - 3135, दिनांक - 30/12/2013 द्वारा संसूचित के संपत्ति कर दर संग्रहण करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी जाती है।

उपरोक्त प्रावधान के आलोक में नगर पंचायत हरनौत (नालंदा) में अवस्थित प्रधान सड़क, मुख्य सड़क एवं अन्य सड़क का निर्धारण करते हुए इस पर अवस्थित भवनों के आधार पर 27 कोष्ठक वार्षिक किराया मूल्य संरचना से संबंधित दरें, रिक्त भूमि का प्रावधानित दर एवं संपत्ति कर वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value) 9% दर को लागू करने का सर्वसम्मति से पारित किया गया।

होल्डिंग टैक्स हेतु निर्धारित दर

इकाई क्षेत्र दर (रू० प्रति वर्ग फुट)

निर्माण का प्रकार	प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग			मुख्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग			अन्य सड़क पर अवस्थित होल्डिंग		
	वाणिज्यिक औद्यागिक	अन्य	आवासीय	वाणिज्यिक औद्यागिक	अन्य	आवासीय	वाणिज्यिक औद्यागिक	अन्य	आवासीय
आर० सी० सी० छत वाला पक्का मकान	32/-	22/-	11/-	22/-	14/-	07/-	11/-	07/-	05/-
एस्बेस्टस / कॉरोगेटेड चादरे की छत वाला पक्का मकान	22/-	14/-	07/-	14/-	10/-	05/-	07/-	05/-	03/-
अन्य	11/-	07/-	04/-	07/-	05/-	03/-	04/-	03/-	02/-

अन्त में बोर्ड द्वारा होल्डिंग टैक्स के निर्धारण हेतु सड़क के नाम एवं दर निर्धारण पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

इसके पश्चात माननीया मुख्य पार्षद एवं सभी माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, हरनौत एक नवगठित नगर निकाय है जिसमें सभी मूल सुविधाओं की कमी है। इसलिए होल्डिंग टैक्स 2022 से न लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू किया जाय। सभी सदस्यों के द्वारा वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value) का 9% सम्पत्ति कर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया।

वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rental Value)

सम्पत्ति कर = ARV × 9%

सभी पार्षदों को विस्तार से अधिनियम एवं नियम चार में वर्णित गुणक के बारे में बताया गया जो निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	गैर - आवासीय कर के प्रकार	गुणक
(i)	होटल, बार, हेल्थ क्लब, जिमनाजियम, क्लब, विवाह - हॉल	03
(ii)	दुकान (250 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले)	01
(iii)	दुकान (ii के अतिरिक्त), शो-रूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा बार, मल्टीप्लेक्स, औषधालय, प्रयोगशाला, रेस्तरां, अतिथिशाला	1.5

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	गैर-आवासीय कर के प्रकार	गुणांक
iv	वाणिज्यिक कार्यालय, वित्तीय संस्थान, बीमा कम्पनियों के कार्यालय, बैंक, निजी अस्पताल, एवं नर्सिंग होम	03
v	उद्योग, कार्यशाला, गोदाम, वेयर हाउस	2
vi	राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यवसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है।	2
vii	सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेज, गाइडेंस एवं प्रशिक्षण केन्द्र एवं उनके छात्रावास	1.5
viii	राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय जो वाणिज्यिक या व्यवसायिक प्रतिष्ठान या उपक्रम नहीं है	1
ix	निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, निजी शोध संस्थान, अन्य निजी शैक्षिक संस्थान एवं उनके छात्रावास	1.5
x	सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रकृति के स्थल, केन्द्र एवं संस्थाएँ	0

Scanned with OKEN Scanner

क्र० सं०	गैर - आवासीय कर के प्रकार	गुणांक
xi	निर्धन शारीरिक रूप से अक्षम, महिलाओं तथा बच्चों के लाभार्थ पूर्त न्यासों न लाभ न हानि के आधार पर संचालित शैक्षिणिक एवं सामाजिक संस्थान	1
xii	(i) से (x) तक के अधीन अनाच्छादित कोई अन्य धृति	गुणांक 1.5 होगा

एजेंडा सं० - 02

नगर पंचायत, हरनौत में Holding Tax के सर्वे, Bar Coding एवं Software बनाने के लिए एजेंसी के चयन पर विचार विमर्श।

नगर पंचायत हरनौत क्षेत्रान्तर्गत Holding Tax Survey and Collection के लिए विभागीय नियमानुसार Software Agency रखने पर विचार किया गया जिसे बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उक्त Agency का दायित्व होगा कि वह वार्ड वार door to door घरों का सर्वे करना निर्धारित form भरना, प्रत्येक घर पर Bar code लगाना एवं नगर पंचायत का एक website create करना इससे Holding Tax, water user charge trade license (व्यापार लाइसेंस शुल्क), SWM शुल्क आदि का भुगतान करवाने में सहुलियत होगी। जिसे बोर्ड के माननीय सभी सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से पारित किया गया।

एजेंडा सं० - 03

सैरात का मूल्य निर्धारण पर विचार विमर्श।

नगर पंचायत, हरनौत क्षेत्रान्तर्गत बस, ऑटो, टेम्पो, टैम्पू स्टैंड आदि का सैरात वसूलने पर सर्व सम्मति से सहमति बनायी गयी। सैरात का कुल राशि (फ्लोर राशि) 15.50/ लाख (पंद्रह लाख पचास हजार) मात्र स्वीकृत जिसमें अलग - अलग वाहनों से वाहन शुल्क भी निर्धारित किया गया। जो की निम्नवत है:-

वाहन पार्किंग शुल्क–

- ई–रिक्शा–10 रू0
- टैम्पू–20 रू0
- ट्रैक्टर मालवाहक–30 रू0
- मिनी बस 407, पीकप, झांझा, टाटा मालवाहक–30 रू0
- जीप टैक्सी–30 रू0
- बस यात्री वाहन–50 रू0
- ट्रक मालवाहक–50 रू0

इसके अतिरिक्त नगर पंचायत, हरनौत बाजार अंतर्गत सब्जी, फल, ठेलों इत्यादि पर शुल्क 20/-रु निर्धारित की गई। जिसे बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।